

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका।

संयुक्त वन भवन, खूटाबांध, दुमका-814101

Mob: - 9431142821, 8987790402

Email - cfdumka@gmail.com

दुमका शहर में अतिक्रमित वनभूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन का स्थिति-पत्र

- 01: 38.21 एकड़ वनभूमि मौजा बंदरजोरी, दुमका में अपयोजन हेतु चिन्हित किया गया है, जिसमें स्टेडियम, जजेज कॉलनी, पुलिस लाईन, एस0पी0महिला कॉलेज हॉस्टल, राजभवन, आउटडोर स्टेडियम इत्यादि है। इससे संबंधित मामला NGT(EZ), Kolkata में विचाराधीन है।
- 02: उपायुक्त, दुमका ने पत्रांक-1311 दिनांक-22.08.2017 के निर्देशानुसार जिला कल्याण पदाधिकारी, दुमका के द्वारा बंदरजोरी में एस0पी0महिला कॉलेज छात्रावास, हेतु 3.08 एकड़ के लिए तथा कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, दुमका के द्वारा 35.13 एकड़ का Online प्रस्ताव 22 सितम्बर, 2017 को केन्द्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया गया। अपलोड किये गये प्रस्तावों का आई0डी0 निम्नवत् है :-

FP/JH/ENCRH/28949/2017 for 14.217 ha (Building) and

FP/JH/ENCRH/28953/2017 for 1.247 ha (Women Hostel).

- 03: वनभूमि के एवज में दिए जाने वाले क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दिए जाने वाली भूमि :-

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	दाग नं0	रकबा	किस्म	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
मसलिया	लतावनी	तसरीया-15	22	823	25 एकड़	पुरातन पतित	गैर-मजरूआ
शिकारीपाड़ा	देदहा	बेनागड़िया-10	41	1	15.47 एकड़	टुंगरी	गैर-मजरूआ

वन भूमि को वनरोपण हेतु उपयुक्त पाते हुए वन विभाग द्वारा सहमति व्यक्त की गई है तथा अंचलाधिकारी से दावा रहित प्रमाण-पत्र दिया गया है, जैसा कि सुश्री इन्दु गुप्ता, अपर समाहर्ता, दुमका ने बताया।

- 04: देदहा तथा लतावनी स्थित गैर-वनभूमि का संभावित पीलर के आधार पर GPS सर्वे करा लिया गया है।
- 05: कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, दुमका ने बताया कि Online Application के दौरान अपयोजित भूमि का DGPS सर्वे तथा नक्शा हेतु राशि तथा कार्यकारी एजेंसी की आवश्यकता है। अतः क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर-वनभूमि एवं अपयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि का GPS सर्वे आधारित पॉलिगोन बनाकर KML file बनाकर अपलोड किया गया।
- 06: नोडल पदाधिकारी द्वारा 10 बिन्दुओं पर उठाये गये आपत्तियों का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 17 एवं 18 अक्टूबर, 2017 को निराकरण किया गया।
- 07: अपर समाहर्ता, दुमका को दिनांक-28.10.2017 को निर्देश दिया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी तथा कार्यपालक अभियन्ता, दुमका के Online Application पर पुनः 3 दर्ज आपत्तियों का निराकरण अपलोड कराएँ ताकि नोडल पदाधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार्य किया जा सके। निराकरण की कार्यवाई जारी है।

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, दुमका।

ज्ञापांक:- 1522

दिनांक:- 28.10.2017

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक -सह-कार्यकारी निदेशक, बंजरभूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना दुमका को सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, दुमका।